



बिहार स्टेट फूड एण्ड सिविल सप्लाइज कॉरपोरेशन लि०,

खाद्य भवन, दरोगा प्रसाद राय, पथ, आर०ब्लॉक, रोड नं०-२-पटना ।

पत्रांक:- ०२:१५:१७(अधि०)२०१७-११४

दिनांक- २१/११/१८

प्रेषक,

मुख्य महाप्रबंधक (अधिप्राप्ति)  
राज्य खाद्य निगम,  
मुख्यालय, पटना।

सेवा में,

सभी जिला प्रबंधक  
राज्य खाद्य निगम,  
बिहार।

विषय:- लॉटवार (२७०क्वी०) CMR की एक ही समय प्राप्ति करना एवं Online प्रविष्टी करना सुनिश्चित करने के सम्बन्ध में।

महाशय,

उपर्युक्त विषयान्तर्गत कहना है कि CMR प्राप्ति की समीक्षा के क्रम में पाया गया है कि कतिपय जिला में निर्धारित एक लॉट CMR की मात्रा २७० क्वी० पैक्स/व्यापारमंडल से एक ही समय नहीं प्राप्त कर २७० क्वी० से कम अर्थात् आंशिक मात्रा (Fraction) में प्राप्ति की जाती है और दूसरे दिन लॉट पूरा किया जाता है, जो विहित प्रावधान के सर्वथा प्रतिकूल है।

उल्लेखनीय है कि निगम मुख्यालय के पत्रांक-१२२१२ दिनांक-०१.१२.२०१७ से निर्गत दिशा निदेश के कंडिका-‘५’ में “CMR जमा/प्राप्ति” शीर्षान्तर्गत यह स्पष्टतः उल्लेखित है कि “भारतीय खाद्य निगम द्वारा CMR हेतु निर्धारित मानक के अनुरूप CMR लॉटवार(२७० क्वी०)प्राप्त किया जायगा। केवल अवशेष CMR की मात्रा अन्तिम लॉट में प्राप्त किया जायगा।”

अतः पुनः अनुरोध है कि प्रासंगिक पत्र में सन्निहित दिशा निदेश के आलोक में निम्न प्रक्रियान्तर्गत CMR की प्राप्ति करना सुनिश्चित किया जाय।

1. प्रावधानानुसार २७० क्वी० का एक लॉट चाहे उसे एक से अधिक वाहन पर लाया गया हो, एक ही समय प्राप्त करना सुनिश्चित किया जाय। किसी भी परिस्थिति में Fraction में CMR की प्राप्ति नहीं की जाय। सिर्फ अन्त में केवल अवशेष CMR की मात्रा अन्तिम लॉट में प्राप्त किया जाय।
2. यदि प्राप्ति के समय उसके गुणवत्ता के जाँचोपरांत लॉट में कुछ भी मात्रा BRL पाया जाता है तो पूरे लॉट को Reject किया जायगा। आंशिक मात्रा Accept या Reject नहीं होगा निर्धारित मानक के अनुरूप CMR लॉट (२७० क्वी०) लाने हेतु पैक्स को निदेशित किया जाय।
3. CMR की प्राप्ति के पश्चात् तत्क्षण Online प्रविष्टी सुनिश्चित की जाय। किसी भी परिस्थिति में CMR प्राप्ति Online प्रविष्टी लम्बित नहीं रखी जाय।

उपरोक्त निदेश का अक्षरशः अनुपालन करना सुनिश्चित करेंगे।

विश्वासभाजन,

RCM-29-01-18

ज्ञापांक:- ०२:१५:१७(अधि०)२०१७-११४

प्रतिलिपि:-परियोजना प्रबंधक, 4 Identity Solution, मुख्यालय, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित। निदेश है कि इसकी प्रति सभी प्रभारी CMR AGM को प्रेषित की जाय

ज्ञापांक:- ०२:१५:१७(अधि०)२०१७-११४

प्रतिलिपि:-सभी जिला पदाधिकारी, बिहार को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

ज्ञापांक:- ०२:१५:१७(अधि०)२०१७-११४

प्रतिलिपि:-प्रबन्ध निदेशक कोषांग, मुख्यालय पटना को सूचनार्थ प्रेषित।

मुख्य महाप्रबंधक (अधिप्राप्ति)